फाइल नं0-71-3099/99/2020-03

134/2023/I/442652/2023

प्रेषक

आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
सिद्धार्थनगर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 07 दिसम्बर, 2023**

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मे0का0सि0/यू0पी0आर0एन0एन0/2023-24/8599, दिनांक 27.10.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा जमा की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 3863.57 लाख में से कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 के रूप में जमा की गई धनराशि रू0 8,08,10,553/- (रू0 आठ करोड़ आठ लाख दस हजार पॉच सौ तिरपन मात्र) इस शर्त के अधीन अवमुक्त की जाती है कि प्रधानाचार्य एवं वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा जमा की गयी धनराशि का रिफण्ड प्राप्त नहीं हुआ है।

नियम व शर्ते/तिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/कघर में नही रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,08,10,553 (रुपये आठ करोड़ आठ लाख दस हजार पॉच सौ तिरपन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031058905 मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

<u>संख्या/तद्दिनॉक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।